तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3660/2004/भीलवाडा श्रीमती लादी बनाम बदरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.7.19	**खण्डपीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्रम सुरास की साबिक आराजी खसरा नं0 718 रकबा 5 बीघा भूमि हीरालाल पुत्र श्रीराम दरोगा के नाम आवंटित हुई थी। उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 2141/1658 रकबा 15 बिस्वा व 21423/1683 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बने। हीरालाल के कोई संतान नहीं होने के कारण रेस्पो0/वादी उसकी सेवा करता था इसलिए हीरालाल ने रेस्पो0/वादी के पक्ष में दिनांक 23.4.79 को उक्त आराजी की वसीयत कर दी। हीरालाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामांतरकरण खोलने हेतु रेस्पो0/वादी ने आवेदन किया परन्तु दिनांक 11.9.84 को अपीलांट/प्रतिवादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया। रेस्पो0/वादी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 11.9.84 की अपील उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.89 से रेस्पो0/अपीलांट की अपील स्वीकार कर ग्राम पचांयत का निर्णय निरस्त करते हुये विवादित आराजी हीरालाल के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3660/2004/भीलवाडा श्रीमती लादी बनाम बदरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज रखे जाने का निर्णय पारित कर दिया। रेस्पो0/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष उपरोक्त वाद वसीयत के आधार पर उसे कब्जा दिलाया जाने व प्रतिवादी को बेदखल करने का किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.04 से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी रेस्पो0/वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी उक्त आदेश दिनांक 27.02.04 से ग्रसित होकर प्रतिवादी/अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अपने निर्णय दिनांक 11.8.04 से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने जो तनकी कायम की उसमें तनकी संख्या 1 जो कायम की उसमें माना की वसीयत दिनांक 23.4.79 को हीरालाल द्वारा निष्पादित की गयी। तत्पश्चात अपीलांट/प्रतिवादी के जबावदावा प्रस्तुत करने के पश्चात वादी/रेस्पो0 को विवादित भूमि का खातेदार घाषित कर दिया किन्तु तनकी संख्या 4 में.....

‘‘मृतक हीरालाल ने किसी प्रकार कोई वसीयतनामा वादी के पक्ष में नहीं लिखा । जो वसीयत बताया गया वो एक फर्जी व बनावटी रूप से तैयार किया गया है। इस आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। ’’,

का निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत नहीं किया गया । केवल तनकी संख्या 1 वादी के हक में निर्णित होने मात्र से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3660/2004/भीलवाडा श्रीमती लादी बनाम बदरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी संख्या 4 को वादी के हक में निर्णित कर दी जबकि इस तनकी पर कोई निर्णय नही दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि हीरालाल द्वारा जो वसीयत वादी/रेस्पो0 के हक में निष्पादित की है वह उस विवादित आराजी का गैर खातेदार था, इसलिए गैर खातेदार होने के कारण उसे वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 डी0एन0जे0(3) राज0 एस0सी0 पेज 1087, 2008 आर0आर0टी0(2) पेज 1117 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पो0/वादी ने स्व0हीरालाल की सेवा की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होने अपने जीवनकाल में ही वसीयत रेस्पो0/वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। स्व0 हीरालाल ने उसे वसीयत को अपने जीवनकाल में कभी निरस्त नहीं करवायी। उसी वसीयत के आधार पर उनकी खाते में दज आराजी रेस्पो0/वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने वसीयत फर्जी होने का तर्क दिया जो बिल्कुल निराधार है क्यों कि इस पर परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण जांच करने के उपरांत उसके फर्जी होने बाबत कोई संदिग्धता व्यक्त नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2008 (1) आर0आर0टी0 36, 1998 आर0बी0जे0 438, 1980 आर0आर0डी0 पेज 750 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जिस वसीयत के आधार पर खातेदारी की घोषणा की गयी है उसके व अन्य विधिक वारिसानों के सबंध में सबंधित तनकीयात में लिखित एवं मौखिक साक्ष्य के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3660/2004/भीलवाडा श्रीमती लादी बनाम बदरीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आधार पर पूर्ण परीक्षण और विवेचन करना नहीं पाया जाता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा यह भी परीक्षण किया जाना अपेक्षित था कि वादग्रस्त आराजी वसीयत के समय खातेदारी में थी या गैर खातेदारी में थी। यदि वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी मे थी तो उन भूमियों के सबंध में विधिक राजकोषीय देयता की क्या स्थिति थी और इस प्रकार की भूमियां विधिक रूप से हस्तांतरण योग्य थी या नहीं । इन स्थितियों का भी पूर्ण विवेचन व परीक्षण कर समुचित निष्कर्ष व निर्णय पर पहुचँना आवश्यक था। जिसका अभाव पाया जाता है।

अतः उक्त महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न की स्थिति में हम यह उचित समझते है कि वादग्रस्त आराजी के सबंध में गैर खातेदारी की स्थिति होने और विधिक रूप से हस्तांतरण योग्य होने या नही होने के सबंध में भी समुचित निष्कर्ष व निर्णय पर पहुँचा जावे। अतः उभयपक्ष व मृतक के आवश्यक विधिक वारिसान को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का मौका देते हुए पुनः समुचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

परिणामतः प्रस्तुत अपील को उपरोक्त आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही व सहयोग हेतु नियत तिथी दिनांक 15.09.19 को आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष